समाहर्ता ने मुहर्रम पर्व के मद्देजनर धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक ।

प्रशासन ने भाईचारा एवं सामुदायिक सौहार्द बनाए रखने की, की अपील

दीव, 25 अगस्त, 2020 :- आज माननीया समाहर्ता एवं जिलाधीश, श्रीमती सलोनी राय की अध्यक्षता में विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई । इस बैठक में कुछ दिनों के बाद आनेवाले मुहर्रम पर्व को शांति एवं सौहार्द से मनाने एवं विभिन्न धार्मिक समुदायों के के बीच एकता व एकजुटता बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई ।

बैठक में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग और इसके लिए निर्धारित एसओपी के तहत मुहर्रम को मनाने पर चर्चा की गई । अध्यक्ष महोदया ने कहा कि मुहर्रम पर्व के दौरान कोविड-19 महामारी के लिए निर्धारित गाइडलाईन का पूर्णत: पालन किया जाए। बैठक में ताजिया को दीव के ताकिया मस्जिद, सीदी कॉलोनी, कोलीवाड़ा के पास और घोघला के जुम्मा मस्जिद, मुहर्रम चौक में एक निश्चत जगह पर ही रखने का निर्णय लिया गया है । यह ताजिया उक्त स्थलों पर दिनांक 29/08/2020 को सायं 6:00 बजे से 30/08/2020 को रात 10:00 बजे तक रहेगा।

मुहर्रम के दौरान अगर जूलूस निकाला जाता है, तो उस दौरान **डीजे /लाउडस्पीकर** बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और जुलूस में 08 से अधिक लोग नहीं होंगे ।

मुहर्रम के दौरान पुलिस और प्रशासनिक तंत्र तथा सभी धार्मिक संगठनों एवं इससे जुड़े अन्य संस्थाऐं दीव जिले में सामुदायिक सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे । प्रशासन ने दीव जिला के आमजनता से अपील की है कि वे शांति एवं सौहार्द से त्योहार को मनाए और इस दौरान भाईचारा बनाए रखें । पर्व को मनाने के दौरान कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिसटेंसिंग और इसके लिए निर्धारित एसओपी का पूर्णत: पालन करें जिससे कि कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।